

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Misc. Appeal No. 587/2023

1. Lrs Of Peeraram, S/o Ukaji Luhar Through His Lrs-
 - 1/1. Anchi Devi W/o Late Shri Peeraram, Aged About 55 Years, Resident Of Santhu Chouraha, Station Road, Marwar Bagra, Tehsil And District Jalore.
 - 1/2. Jeeja @ Leela D/o Late Shri Peeraram, Aged About 33 Years, Resident Of Santhu Chouraha, Station Road, Marwar Bagra, Tehsil And District Jalore.
 - 1/3. Hitesh Kumar S/o Late Shri Peeraram, Aged About 26 Years, Resident Of Santhu Chouraha, Station Road, Marwar Bagra, Tehsil And District Jalore.
 - 1/4. Deepika D/o Late Shri Peeraram, Aged About 24 Years, Resident Of Santhu Chouraha, Station Road, Marwar Bagra, Tehsil And District Jalore.
 - 1/5. Mahaveer S/o Late Shri Peeraram, Aged About 22 Years, Resident Of Santhu Chouraha, Station Road, Marwar Bagra, Tehsil And District Jalore.

----Appellants

Versus

1. Bagda Ram S/o Jemtaji, Resident Of Karda Tehsil Raniwara, Tehsil And District Jalore (Raj.)
2. Pawni @ Pawan S/o Bagdaram, Resident Of Karda Tehsil Raniwara, Tehsil And District Jalore (Raj.)
3. Anita D/o Bagdaram, Resident Of Karda Tehsil Raniwara, Tehsil And District Jalore (Raj.)
4. Indira D/o Bagdaram, Resident Of Karda Tehsil Raniwara, Tehsil And District Jalore (Raj.)
5. Purna D/o Bagdaram, Resident Of Karda Tehsil Raniwara, Tehsil And District Jalore (Raj.)
6. Labhu Ram D/o Bagda Ram, Resident Of Karda Tehsil Raniwara, Tehsil And District Jalore (Raj.)
7. Jodhpur Vidhyut Vitran Nigam Limited, Through Its Assistant Engineer, Bagra District Jalore.

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Moti Singh
For Respondent(s) : -

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

17/04/2023

कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकरण में कार्यालय द्वारा दो आपत्ति लगाई गई थी, जिनमें से प्रथम आपत्ति की पूर्ति कर दी गई थी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया कि यह अपील कम्पनी की मालिक की तरफ से पेश नहीं की गई है, इस कारण से धारा 30 क्षतिपूर्ति अधिनियम के मुताबिक क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र पेश किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रावधान का अवलोकन किया गया।

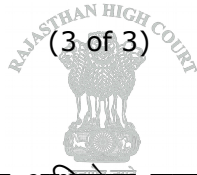
त्रुटि/आपत्ति नंबर दो को रद्द किया जाता है।

प्रत्यर्थागण को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जावे।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने स्थगन आदेश जारी किए जाने का निवेदन किया।

यदि अपीलार्थी द्वारा अवार्ड की मूल प्रतिकर राशि में सें 50 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करवायी गयी राशि को समायोजित करते हुए दो माह की अवधि में अधिकरण के समक्ष जमा करवायी जाती है, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त एवं श्रम न्यायालय, जोधपुर द्वारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति प्रकरण संख्या 164/2015, बगदाराम व अन्य बनाम पीराराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2023 की शेष राशि की वसूली इस अपील के निस्तारण तक स्थगित रहेगी। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने पर अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त एवं श्रम न्यायालय, जोधपुर स्वयं के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में एक वर्ष के लिए जमा कराए, तत्पश्चात् समय-समय पर नियमानुसार बढ़ाई जावे।



[CMA-587/2023]

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाए।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

30-GauravG/-